

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क. :- 99 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 12 / 03 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र — गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. कृष्ण कुमार चौधरी पुत्र विजय शंकर चौधरी उम्र 29 वर्ष
निवासी :- गोविन्द नगर भिण्ड, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 03 / 12 / 2016 को घोषित)

01. आरोपी कृष्ण कुमार पर धारा :- 279, 337 "02 काउण्ट", 338 एवं 182 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 16 / 10 / 2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग स्थित जादौन ढावा के पास, उसके आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.7/के/2321 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर अज्ञात डम्फर में टक्कर मारकर कार में बैठे सुनील पाण्डेय एवं गायत्री शिवहरे को उपहति एवं संतोष शिवहरे को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को स्वयं उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त आहतों को उपहति कारित कर अज्ञात डम्फर चालक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में झूठी रिपोर्ट की।

02. प्रकरण में आरोपी एवं आहत सुनील के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 16 / 10 / 2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग स्थित जादौन ढावा के पास, अज्ञात डम्फर के चालक द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर अचानक ब्रेक लगाने देने से वाहन स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.7/के/2321 में सवार सुनील पाण्डेय, गायत्री शिवहरे एवं संतोष शिवहरे को उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट आरोपी कृष्ण कुमार चौधरी द्वारा थाना गोहद चौराहा, पर दिनांक : 18 / 10 / 2014 को की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में अज्ञात वाहन डम्फर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 243 / 2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत संतोष के एक्स-रे परीक्षण में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आहत संतोष, सुनील पाण्डेय, दिनेश एवं गायत्री के धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों में स्वयं आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा उक्त स्विफ्ट कार को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर खड़े डम्पर में टक्कर मार देने का उल्लेख कर देने के कारण दिनांक : 12/03/2015 को आरोपी कृष्ण कुमार के कब्जे से वाहन स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.7/के/2321 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी कृष्ण कुमार को दिनांक : 12/03/2015 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरुद्ध धारा 279, 337 "02 काउण्ट", 338 एवं 182 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी कृष्ण कुमार एवं फरियादी/आहत सुनील के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 "01 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी कृष्ण कुमार ने दिनांक :- 16/10/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग स्थित जादौन ढावा के पास, उसके आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.7/के/2321 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर अज्ञात डम्पर में टक्कर मारकर कार में सवार गायत्री शिवहरे को उपहति एवं संतोष शिवहरे को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त आहतों को उपहति कारित कर अज्ञात डम्पर चालक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में झूठी रिपोर्ट की?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. साक्षी संतोष शिवहरे अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 16/10/2014 की है। वह अपने दोस्त रिन्कू जैन के यहाँ गृह प्रवेश के लिए गया था और वहाँ से निमंत्रण खाकर लौटकर आ रहा था। उसके साथ दिनेश शिवहरे, गायत्री शिवहरे, सुनील पाण्डेय साथ में एक गाड़ी से वापस घर आ रहे थे। तभी गाड़ी ग्राम जैतपुरा जादौन ढावा के पास पहुँची, तब गाड़ी ने डम्पर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके कमर में और दाये तरफ बाह में एवं कान में छिलन होकर खून आ गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथी सुनील पाण्डेय को भी चोटें आई थी। न्यायालय में उपस्थित आरोपी को देखकर साक्षी ने व्यक्त किया कि वह उक्त आरोपी को जानता है, आरोपी उसका दोस्त हैं। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहा था। साक्षी का आगे कहना है कि पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. साक्षी सुनील पाण्डेय अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 16/10/2014 की है। वह अपने दोस्त रिन्कू जैन के यहाँ गृह प्रवेश के लिए गया था और वहाँ से निमंत्रण खाकर लौटकर आ रहा था। उसके साथ दिनेश शिवहरे, गायत्री शिवहरे, संतोष शिवहरे साथ में एक गाड़ी से वापस घर आ रहे थे। तभी गाड़ी ग्राम जैतपुरा जादौन ढावा के पास पहुँची, तब गाड़ी ने डम्पर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी कोहनी में चोट आई थी तथा संतोष को भी चोटें आई थी। न्यायालय में उपस्थित आरोपी को देखकर साक्षी ने व्यक्त किया कि वह उक्त आरोपी को जानता है, आरोपी उसका दोस्त हैं। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहा था। साक्षी का आगे कहना है कि पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचन प्रश्न पूछे जाने पर भी संतोष अ.सा.01 एवं सुनील अ.सा.02 ने स्विफ्ट क्रमांक डी.एल.07/के./2321 के दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी कृष्ण कुमार का नाम नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

10. साक्षी गायत्री अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 16/10/2014 की रात्रि लगभग 11 बजे की है। उक्त दिनांक को वह अपने पति सुरेन्द्र शिवहरे एवं बच्चे के साथ गृह प्रवेश में बंटू जैन के साले के यहाँ जा रही थी, वहाँ से वह लोग निमंत्रण खाकर स्विफ्ट गाड़ी से वापस आ रहे थे, तभी गोहद

बिरखड़ी के पास स्विफ्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। साक्षी आगे कहती है कि उसे डम्पर एवं स्विफ्ट गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम। स्विफ्ट गाड़ी को चालक सुनील चला रहा था, सुनील गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था, जिससे गाड़ी जैतपुरा के पास एक डम्पर में टकरा गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कोई वाहन चालक सुनील आरोपी नहीं है। साक्षी गायत्री अ.सा.03 आगे कहती है कि टक्कर लगने से उसके भाई संतोष शिवहरे के कमर में चोट आई थी, उसकी कमर टूट गई थी। सुरेन्द्र शिवहरे एवं दिनेश शिवहरे के हाथ में चोट आई थी, उसके चोट नहीं आई थी। सुनील पाण्डेय के पैर एवं हाथ में चोटें आई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर गायत्री अ.सा.03 का कहना है कि उसने गाड़ी नम्बर डी.एल.7/सी.के./2123 बताया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चालक कृष्ण कुमार चला रहा था, वह कृष्ण कुमार को सामने आने पर पहचान लेगी। आगामी नियत तिथि पर साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी कृष्ण कुमार को देखकर कहा कि यह वह व्यक्ति नहीं है, जो दुर्घटना वाले दिन दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहा था। इस प्रकार गायत्री अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन स्विफ्ट क्रमांक : डी.एल.07/सी.के./2123 के चालक के रूप में सुनील एवं कृष्ण कुमार दो व्यक्तियों के नाम बताये हैं, जो कि विरोधाभासी है। साक्षी गायत्री अ.सा.03 ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी कृष्ण कुमार को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में नहीं पहचाना है। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कृष्ण कुमार की पहचान के संबंध में गायत्री अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अंतर्विरोधों से ग्रस्त होने के कारण विश्वास योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के समय उक्त दुर्घटनाग्रस्त कार में गायत्री अ.सा.03 के साथ कार में सवार संतोष अ.सा.01 एवं सुनील अ.सा.02 ने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कृष्ण कुमार का नाम नहीं बताया है। इस प्रकार इस वावत् संतोष अ.सा.01, सुनील अ.सा.02 एवं गायत्री अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है।

11. साक्षी दिनेश शिवहरे अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी किशन कुमार को जानता है। घटना 16 नवम्बर-दिसम्बर की उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 03/11/2015 से एक वर्ष पूर्व की है। साक्षी आगे कहता है कि रात्रि में वह लोग ग्वालियर से भिण्ड की ओर स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे थे। उसकी गाड़ी को आरोपी चालक किशन कुमार चला रहा था। घटना गोहद से निकलकर ग्राम जैतपुरा के पास हुई थी। घटना में उसके साले संतोष को ज्यादा चोटें आई थी एवं गायत्री पाण्डेय को थोड़ी-बहुत चोट आई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दिनेश अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी कृष्ण कुमार ने तेजी एवं लापरवाही से स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.07/सी.के./2123 को चलाकर डम्पर में घुसा दिया, जिससे संतोष एवं सुनील को चोटें आई। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग “कृष्ण कुमार चोट लगी थी” पढ़कर सुनाये एवं समझाये

जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार यह साक्षी दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक डी.एल.07/सी.के./2123 को आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा चलाये जाने का तथ्य को बताता था, परन्तु आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने का तथ्य बिल्कुल नहीं बताता है। जहाँ तक इस साक्षी द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक डी.एल.07/सी.के./2123 को चलाये जाने का तथ्य बताने का प्रश्न है, इस वावत् आरोपी कृष्ण कुमार की पहचान के संबंध में दिनेश अ.सा.04 के द्वारा दर्शित तथ्य साक्षी संतोष अ.सा.01, सुनील अ.सा.02 एवं गायत्री अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से विरोधाभासी है। इस प्रकार यदि तर्क के लिए दिनेश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के आधार पर यह मान भी लिया जाये कि आरोपी कृष्ण कुमार ही दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक डी.एल.07/सी.के./2123 चला रहा था, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि वह उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चला रहा था। अभियोजन द्वारा इस वावत् कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा अज्ञात डम्पर चालक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है।

12. आरोपी कृष्ण कुमार एवं आहत सुनील के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और आहतगण संतोष अ.सा.01 एवं सुनील अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

13. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा दिनांक :- 16/10/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय लोकमार्ग स्थित जादौन ढावा के पास, उसके आधिपत्य के वाहन स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.7/के/2321 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर अज्ञात डम्पर में टक्कर मारकर कार में सवार गायत्री शिवहरे को उपहति एवं संतोष शिवहरे को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त आहतों को उपहति कारित कर अज्ञात डम्पर चालक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में झूठी रिपोर्ट की।

अंतिम निष्कर्ष

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी कृष्ण कुमार के विरुद्ध धारा 279, 337 "01 काउण्ट", 338 एवं 182 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी कृष्ण कुमार को धारा 279, 337 "01 काउण्ट", 338 एवं 182 भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।
16. प्रकरण में जब्तशुदा स्विफ्ट डिजायर क्रमांक डी.एल.7/के/2321 पूर्व से ही उसकी पंजीकृत स्वामी सुनील कुमार के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद